संख्या-7/2026/I/1307165/2026/001-10-24099-70-2025-3-

प्रेषक,

संदीप कौर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-65, लेखाशीर्ष-2425-101-03 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान के अन्तर्गत राजस्व लेखे में प्रावधानित धनराशि रुपये 19867.00 लाख को निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-2425-सहकारिता-101-सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय को वहन करने के लिये राजस्व लेखे में प्रावधानित धनराशि रुपये 1,98,67,00,000 (रुपये एक अरब अट्ठान्नबे करोड़ सड़सठ लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) धनराशियों को व्यय करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार प्रावधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन/आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।

(3) यदि किसी धनराशि के व्यय के लिए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

(4) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रखकर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2425001010300 (सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान)

क्र0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	01 वेतन	1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र)
2	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	02 मजदूरी	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
3	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	65,00,00,000 (रुपये पैंसठ करोड़ मात्र)
4	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
5	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)
6	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
7	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	07 मानदेय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
9	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	09 विद्युत देय	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
10	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	10 जलकर/जल प्रभार	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
12	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

13	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
14	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
15	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
16	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
17	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
18	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
20	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
21	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	10,50,00,000 (रुपये दस करोड़ पचास लाख मात्र)
22	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
23	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	2,75,00,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
24	065	2425001010300	51	1,00,000

http://shasanadesh.up.gov.in

		सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	वर्दी व्यय	(रुपये एक लाख मात्र)
25	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
26	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
कुल				**1,98,67,00,000 (रुपये एक अरब अट्ठानबे करोड़ सड़सठ लाख मात्र)**

महायोग	1,98,67,00,000 (रुपये एक अरब अट्ठानबे करोड़ सड़सठ लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
संदीप कौर
सचिव।

संख्या-7/2026/I/1307165 /2026/001-10-24099-70-2025-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संदीप कौर
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।